File No: 80-1001/286/2019

संख्या-1/2024/2664264/अस्सी-2-2024

प्रेषक,

डा0देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2-समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0।
3-समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0 ।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 01 मार्च,2024

विषय:-उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति-2019 के क्रियान्वयन के संबंध में निर्गत विस्तृत दिशा निर्देशों के प्रस्तर-1.8.3 एवं प्रस्तर-3.8.3 में संशोधन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन की अधिसूचना दिनांक 13 सितम्बर,2019 द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 कृषि निर्यात नीति,2019 के क्रियान्वयन के संबंध में शासनादेश संख्या-02/2020/174/अस्सी-2-2020-100(9)/2019,दिनांक13 मई,2020 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।

2- उ0प्र0 कृषि निर्यात नीति,2019 के प्राविधानान्तर्गत अनुमन्य परिवहन अनुदान का लाभ मेन्था व अन्य उत्पादों के निर्यातकों को भी प्राप्त कराने के लिए नीति के क्रियान्वयन संबंधी उक्त शासनादेश दिनांक 13 मई,2020 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के प्रस्तर- 1.8.3 एवं प्रस्तर-3.8.3 में उल्लिखित प्राविधानों को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

प्रस्तर सं0	दिशा-निर्देश दिनांक 13.05.2020 के वर्तमान प्राविधान	एतद्द्वारा संशोधित प्राविधान
1.8.3 एवं 3.8.3	एपीडा से RCMC (Registration cum Membership certificate) रजिस्ट्रेशन की प्रति	एपीडा अथवा भारत सरकार द्वारा किसी भी लाभ या छूट प्राप्त करने हेतु डी0जी0एफ0 टी0 (**DGFT**) द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार व्यापार के मुख्य कृषि उत्पाद से सम्बन्धित निर्यात संवर्धन काउंसिल/बोर्ड से **RCMC(Registration cum Membership Certificate)** अथवा पंजीयन का प्रमाण पत्र **(Certificate of Registration)** की प्रति।

भवदीय,
डा0देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

...2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 1/2024/2664264/अस्सी-2-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2-सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार, नई दिल्ली।

3- सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग,भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली।

4-स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

5-कृषि उत्पाद आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

6-स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।

7-निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, किसान मण्डी भवन, गोमती नगर, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-कृ0वि0कृवि0व्या0नि0/340/निर्यात-(24-।।)/2023-24, दिनांक 21-12-2023 के क्रम में।

8-निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 किसान मण्डी भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

9-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

10-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 250 प्रतियां मुद्रित कराकर कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-1

12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

डा0देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।